

**लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश**  
 गौतम नगर, भोपाल – 462021  
 दूरभाष 0755-2583650 फ़ैक्स 0755-2583651  
 ई-मेल [dpimp@sancharnet.in](mailto:dpimp@sancharnet.in)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 24/12/2007

क्रमांक/स्था-1/राज/बी/21/2007/1653 : लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. द्वारा व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 23.03.2007 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के अनुक्रम में दिनांक 08.11.2007 को आयोजित पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित व्याख्याताओं को प्राचार्य, हाईस्कूल के पद पर वेतनमान रूपये 6500-200-10500 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शित संस्था में पदस्थ किया जाता है :-

:: सामान्य प्रवर्ग ::

स. कं.	नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना	जिला
1	2	3	4	5
1	श्रीमती भारती सक्सेना	शा. हाईस्कूल काटजू जावरा, रतलाम	शास.हाईस्कूल काटजू जावरा रतलाम	रतलाम
2	मैदिनी पाठक	शा. क. उमावि. विजयाराजे, उज्जैन	शा.हाईस्कूल पालदुना	उज्जैन
3	श्री प्रवीण दामोदर करवडे	शा. उमावि. उज्जैन	शास.हाईस्कूल ताजपुर	उज्जैन
4	श्री अभय कुमार जैन	शा. उत्कृष्ट उमावि. शाह नगर, पन्ना	शास.हाई स्कूल एरई दतिया	दतिया
5	श्री एस.डी. दुबे	शा. बा. उमावि. विदिशा	शा.हाईस्कूल बरखेड़ाजागीर	विदिशा
6	कु. विमला तिवारी	पीजीबीटी खण्डवा	शास.हाई स्कूल मोहना	खण्डवा
7	श्री राम मिलन सिंह ठाकुर	शा. उमावि. मुरवारी, कटनी	शा.हाईस्कूल ढीमरखेडा	कटनी
8	श्री जगदीश प्रसाद भार्गव	शा. उत्कृष्ट उमावि. बीनागंज, गुना	शा.कन्या हाई स्कूल मधुसूदनगढ	गुना
9	श्री भंवर सिंह जादौन	शा. उमावि. लहार भिण्ड	शा.हाईस्कूल एण्डोरी गोहद	भिण्ड

10	श्री रजनी कांत पाण्डे	शास उमावि जालसेवानिकेतन उज्जैन	शास.हाईस्कूल कनार्दी	उज्जैन
11	श्रीमती एन. शर्मा	शा. पीएसएम. कालेज जबलपुर	शा0हाईस्कूल महाराजपुर	जबलपुर
12	श्रीमती उमा पिल्लई	पी.एस.एम. कॉलेज जबलपुर	शा0हाईस्कूल घाटपिपरिया	जबलपुर
13	श्रीमती व्ही. नायर	पी.एस.एम. कॉलेज जबलपुर	शा0हाईस्कूल बरगीबरखेडा	जबलपुर
14	श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी	शा. उमावि. बाणसागर शहडोल	शा.हाईस्कूल पानीया	राजगढ़
15	श्री सुभाष गौतम	शा. हाईस्कूल नूतन उज्जैन	शा.हाईस्कूल रोहलखुर्द	उज्जैन
16	श्री अयोध्या प्रसाद पाठक	कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सतना	शा. हाईस्कूल सगौनी	सतना
17	श्री कासीम खांन	शास हाईस्कूल सानौधा सागर	शास.हाईस्कूल निवारी	सागर
18	श्री हीरा लाल पटेल	शा. उमावि. हरई सतना	शा. हाईस्कूल गोरसरी	सतना
19	श्री सुरेन्द्र कान्त तिवारी	शा. उमावि. बुढार, शहडोल	शा.हाईस्कूल पटाडिया धाकड	राजगढ़
20	श्री सी.एल. तिवारी	शा. हाईस्कूल देवखजूरी विदिशा	शा.हाईस्कूल जोहद	विदिशा
21	श्री अनिल कुमार मरखेडकर	शा. क. उमावि. बासौदा, विदिशा	शा.हाईस्कूल सीहोरा	विदिशा
22	श्री प्रकाश चन्द्र कोष्ठी	शा. हाईस्कूल पिपरा, सागर	शा.हाई स्कूल रानीखेजडा	गुना
23	डॉ. संजय श्रीवास्वत	डाइट शहडोल	शा.हाईस्कूल रोसला	राजगढ़
24	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	शा. उत्कृष्ट उमावि. मैहर, सतना	शा. क. हाईस्कूल उचेहरा	सतना
25	श्री मोले सिंह	बी.आर.सी. रामपुर बधेलान सतना	शा. हाईस्कूल छोटी भरौली	सतना
26	श्री विष्णु देव पाठक	शा. उमावि. क्रं. 2, शहडोल	शा.हाईस्कूल सुल्तानिया	राजगढ़
27	श्री नकुल हसन खॉन	शा. हाईस्कूल खण्डरा, बैतूल	शा.हाईस्कूल बरखेड	बैतूल

28	श्री विष्णु प्रसाद जोशी	बी.ई.ओ. बरोदिया कलां शाजापुर	शास. हाईस्कूल दुधाना	शाजापुर
29	श्री बी.पी. रघुवंशी	शा. हाईस्कूल सिरगांव, नरसिंहपुर	शा.हाई स्कूल सीरेगांव	नरसिंहपुर
30	श्री संदीप सक्सैना	बी.आर.सी. कोतमा, अनूपपुर	शा. हाई स्कूल कुसाही	सीधी
31	श्री यशवंत सिंह राजपूत	शा. उत्कृष्ट उमावि. सागर	शास.हाईस्कूल रोंडा	सागर
32	श्री रविन्द्र कुमार सक्सेना	बी.आर.सी. बल्वेदवगढ, टीकमगढ	शास.हाईस्कूल भैलसी	टीकमगढ
33	श्री संतोष कुमार शर्मा	बी.ई.ओ. निवाडी, टीकमगढ	शास.हाईस्कूल ढिल्ला	टीकमगढ
34	श्री सुरेश कुमार सोनी	शा. क. उमावि. टीकमगढ	शा. हाईस्कूल सिमराखुर्द	टीकमगढ
35	श्री रामसहाय लक्ष्यकार	शा. उमावि. क्रं. 2, टीकमगढ	शास.हाईस्कूल बछौडा	टीकमगढ
36	श्रीमती एस. शकरगाये	शा. एन.बी.एम. उमावि. देवास	शा.हाईस्कूल ब्रिजल गावं	देवास
37	श्री योगेन्द्र कुमार दुबे	शा. हाईस्कूल आंचलखेडा, होशंगाबाद	शासकीय हाईस्कूल तालकेशरी	होशंगाबाद
38	श्री हरिशंकर शुक्ला	शा. हाईस्कूल बधाना नीमच	शा. हाईस्कूल रेवली देवली	नीमच
39	श्री प्रेम नारायण महाजन	शा. उमावि. जालसेवा निकेतन, उज्जैन	शास.हाईस्कूल रूनखेडा	उज्जैन
40	श्री टी.एल. पंचे	शास. हाईस्कूल जाम कटंगी बालाघाट	शा. हाईस्कूल कायदी	बालाघाट
41	श्रीमती उषा दुबे	शा. हाईस्कूल व्यंकट वार्ड सिविल लाइन, कटनी	शा. नवीन उमावि सिविल लाइन कटनी (0 बजट)	कटनी
42	श्री हरीश निगम	शास उमावि राजराना इन्दौर	शास.हाईस्कूल कन्या सोयतकलां	शाजापुर
43	श्री अभिलाष कुमार चतुर्वेदी	शा. एम.एल.बी.क. उमावि. सतना	शा. हाईस्कूल गोरइया	सतना

:: अनुसूचित जाति प्रवर्ग ::

स. कं.	नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना	जिला
1	2	3	4	5
1	श्रीमती पंचशीला उइके	शा. क. चिमनाबाई उमावि. देवास	शास.हाईस्कूल क. भौर	देवास
2	श्री संजय टैगोर	शा. उमावि. गांधीग्राम जबलपुर	शा.हाईस्कूल मारुड	छिंदवाड़ा
3	श्री राम अयोध्या प्रसाद	राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल	शा.हाईस्कूल कीलखेडा	राजगढ़
4	श्री बी.एस. इन्दौलिया	शा. उत्कृष्ट उमावि. कैलारस, मुरैना	शा.हाईस्कूल क. नूराबाद	मुरैना
5	श्रीमती शैलबाला डोंगरे	शा. बा. उमावि. बरगी, जबलपुर	शा. हाईस्कूल कूढामर्दानगढ़	कटनी
6	श्रीमती अलका सिंह राय	शा. एम.एल.बी. क. उमावि. गुना	शा. हाई स्कूल बरोद	गुना
7	श्री बी.एल. कुम्हार	शा. बा. उमावि. टेहरका, टीकमगढ़	शास.हाईस्कूल सुजानपुर	टीकमगढ़
8	श्री तुलसीदास मेश्राम	शा. उमावि. गुनगा, भोपाल	शा.हाईस्कूल काचरी	राजगढ़
9	श्री प्रहलाद प्रसाद प्रजापति	शा. हाईस्कूल बेरमा, सतना	शा.हाईस्कूल धतूरा	सतना
10	श्री आर.सी. अहरवाल	शा. उमावि. नोहटा, दमोह	शा. हाईस्कूल सिंगपुर दमोह	दमोह
11	श्री रामसजीवन वर्मा	शा. बा. उमावि. सिरमौर, रीवा	सेवानिवृत्त	—
12	श्री रामसजीवन वर्मा	शा. उमावि. रैगांव सतना	शा.हाईस्कूल उसरार	सतना
13	श्री फतेह चंद जाटव	शा. हाईस्कूल गुजराना, मुरैना	शास.हाईस्कूल बरेंड मुरैना	मुरैना
14	श्री एच.सी गवली	शास उत्कृ.उमावि नरसिंहगढ़ राजगढ़	शा.हाईस्कूल झाडला	राजगढ़
15	श्री रामजी लाल पिपप्ल	शा. क.उमावि. खटियार अम्बाह मुरैना	शा.हाईस्कूल भेसौरा	मुरैना
16	श्री केशव प्रसाद वर्मा	शा. उमावि. देवराज नगर, सतना	शा. हाईस्कूल चूंद, सतना	सतना

17	श्री मुन्नालाल मालवीय	शा. हाईस्कूल सेउ विदिशा	शा.हाईस्कूल सेऊ	विदिशा
18	श्री एच.एल. कौशल	शा. हाईस्कूल नवीन कन्नौद, देवास	सेवानिवृत्त	—
19	श्री दिलीप सांखला	शास उमावि नाहरगढ मंदसौर	शा. हाईस्कूल रसौदा नीमच	नीमच
20	श्रीमती शशि सिंह	शा. क. उमावि. आष्टा, सीहोर	शा. हाई स्कूल क.दोराहा	सीहोर
21	श्री के.सी. चन्देलकर	शा. उमावि. चकल्दी, नसरुल्लागंज, सीहोर	शा.हाई स्कूल चींच	सीहोर

:: अनुसूचित जनजाति संवर्ग ::

स. कं.	नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना	जिला
1	2	3	4	5
1	श्री लक्ष्मणदास वर्मा	शास उमावि तिलखन रीवा	शा.हाई स्कूल मोहम्मदपुर	गुना
2	श्री अब्राहम एक्का	शा. बा. उमावि. उचेहरा, सतना	शा.हाईस्कूल सेमरवारा	सतना
3	श्री डी.एस. ठाकुर	शा. क. उमावि. नवीन गाडरवारा, नरसिंहपुर	शा.हाई स्कूल बघवार नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
4	श्रीमती तारा टोप्पो	शा. उमावि. मॉडल बरेला, जबलपुर	शा.हाईस्कूल झिन्ना पिपरिया	कटनी
5	श्रीमती मंजू बडोदिया	शा. उमावि. जीवाजीराव, ग्वालियर	शास.हाईस्कूल मेंहगाँव	ग्वालियर
6	श्री डी.एल. कुमरे	शा. बा. उमावि. बरघाट, सिवनी	शा.हाईस्कूल मोहन	राजगढ़
7	श्री शिवनारायण रायकवार	बी.आर.सी. नटेरन, विदिशा	शा.हाईस्कूल कोठीचारकलां	विदिशा
8	श्री दशरथ प्रसाद वर्मा	शा. उमावि. सिजहटा, सतना	शा.हाईस्कूल गढ़वाखुर्द	सतना
9	श्री आनंद प्रकाश कुजूर	शा. क. उमावि. सिवनी मालवा, होशंगाबाद	शा.हाईस्कूल भोजपुर	राजगढ़
10	श्री एस.एल. सरयाम	शा. उमावि. बोरगांव, बैतूल	शा.हाईस्कूल वंडली	बैतूल

11	श्री ए.एल. उइके	शा. उत्कृष्ट उमावि. छिंदवाडा	शा. उमावि, पौनार (0बजट )	छिंदवाडा
12	श्री डी.के. धुर्वे	शा. कमला नेहरू क. उमावि. वारासिवनी बालाघाट	शा. हाईस्कूल घोटी-लालबर्वा बालाघाट	बालाघाट
13	श्री सुखचन्द्र ताण्डे	शा. क. उमावि. कटंगी बालाघाट	शा. हाईस्कूल बोरी-लालबर्वा	बालाघाट
14	श्री तेज कुमार मिंज	शा. बा. उमावि. नागौद, सतना	शा. हाईस्कूल मढीकला	सतना
15	श्री ओमप्रकाश बण्डे	शा. क. उमावि. कसरावद, खरगौन	शा. हाईस्कूल, भागावां निपानी	खरगौन
16	श्री बिफनाराम भगत	शा. बा. उमावि. अमरपाटन, सतना	शा. हाईस्कूल बड़ागावं	उमरिया
17	श्री सी.एल. परते	शा. हाईस्कूल चरेगांव बालाघाट	शा. हाईस्कूल चरेगांव बालाघाट	बालाघाट
18	श्री विजय कुमार	शा. बा. उमावि. गौहरगंज, रायसेन	शा. हाईस्कूल गौहरगंज रायसन	रायसेन

- 2) जिन व्याख्याताओं की पदोन्नति उपरांत पदस्थापना प्राचार्य +2 उमावि./जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक संचालक/संयुक्त संचालक कार्यालय में सहायक संचालक के पद पर की गई है, वे पद विरुद्ध माने जायेंगे ।
- 3) हाईस्कूल प्राचार्यों की वरिष्ठता आदेश दिनांक 02.04.07 में निर्देशों के अनुक्रम में निर्धारित होगी । उपरोक्त पदोन्नत प्राचार्यों को दिनांक 02.04.07 से "काम नहीं दाम नहीं" के आधार पर नोशनल फिक्सेशन कर वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिया जावे ।
- 4) आदेश में निम्न अवधि तक के व्याख्याताओं को पदोन्नत किया गया है :-

	<u>वरिष्ठता क्रमांक</u>	<u>वरिष्ठता दिनांक</u>
1. सामान्य प्रवर्ग	2395	01.07.1985
2. अनुसूचित जाति प्रवर्ग	7637	31.07.1997
3. अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग	8721-ए	10.06.2000

- 5) पदोन्नति उपरान्त पदांकन संस्था हेतु भारमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि प्राचार्य पद पर जो व्याख्याता पदोन्नत हो रहे हैं , वे उक्त उल्लेखित तिथियों के बाद के न हों या उनके विरुद्ध किसी प्रकार के अपराधिक प्रकरण / जांच / अनुशासनात्मक कार्यवाही न हो या ऐसी शास्ति न हो जो उनकी पदोन्नति में बाधक हो। ऐसी स्थिति पाये जाने पर उन्हें भारमुक्त न किया जाकर संचालनालय

- को अपने प्रस्ताव सहित अवगत करावें । इस कार्यवाही हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे ।
- 6) जिन व्याख्याताओं की पदोन्नति उपरांत पदस्थापना दूसरे जिले में की गई है । उन व्याख्याताओं के आदेश मिलते ही सेवाअभिलेख का मिलान कर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भारमुक्त किया जायें ।
  - 7) नवपदोन्नत प्राचार्य दिनांक **31.12.2007** तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे जिसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी संलग्न प्रपत्र-1 अनुसार संचालनालय को प्रस्तुत करेंगे ।
  - 8) इन प्राचार्यों का प्रशिक्षण दूसरे दिन दिनांक **01.01.2008** को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर रखा जायेगा । प्रशिक्षण उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र-2 अनुसार पदांकित संस्था के लिए भारमुक्त किया जावेगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति दिनांक ही पदोन्नति उपरांत कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक होगा ।
  - 9) जिन हाईस्कूलों में पूर्व से प्राचार्य के रूप में व्याख्याता पदस्थ हैं वे नवपदोन्नत प्राचार्य के उपस्थित होने पर स्वमेव कार्यमुक्त मानें जावेंगे और वे अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगे । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में पदस्थापना आदेश संलग्न प्रपत्र-3 अनुसार जारी करेंगे । तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे सभी व्याख्याताओं का जिले के उमावि. में रिक्त विषयवार व्याख्याता के पदों पर प्रस्ताव एकल नस्ती में **04.01.2008** तक संचालनालय में प्रस्तुत करेंगे ।
  - 10) (अ)पदोन्नत प्राचार्य द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो उसे 12 वर्ष बाद प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त होता रहेगा परन्तु 24 वर्ष पश्चात मिलने वाली क्रमोन्नति की सुविधा का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. एफ-1-1/1/वेआप्र/99 दिनांक 05 जुलाई 2002/23 सितंबर 2002 के प्रकाश में प्राप्त नहीं होगा ।

(ब)पदोन्नति का परित्याग मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम-2002 की कण्डिका 6(15) के अनुक्रम में पदोन्नत लोक सेवक को ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इन्कार करने के दिनांक से 01 वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्ति की उद्भूत होने तक जो भी पश्चात्वर्ती हो पदोन्नति के लिए प्रस्तावित नहीं किया जायेगा ।


- 11) जो व्याख्याता प्राचार्य, हाईस्कूल के पदोन्नति पद पर नहीं जाना चाहते हैं वे व्याख्याता लिखित में 02 प्रतियों में इस आशय की सूचना दिनांक **29.12.2007** तक अपने वर्तमान पदस्थापना वाले जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे । जिला शिक्षा अधिकारी यह सूचना प्राप्त होने पर संलग्न प्रपत्र-4 अनुसार संबंधित व्याख्याता को इसकी पावती की सूचना देंगे तथा यदि पदस्थापना दूसरे जिले में है तो इसकी सूचना उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जायेगी । पदोन्नति परित्याग सूचना की 01 प्रति संचालनालय को भेजी जायेगी । सेवा पुस्तिका में इसका प्रमाणीकरण भी अंकित किया जायेगा कि संबंधित व्याख्याता ने

पदोन्नति का परित्याग किया है । तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक **04.01.2008** तक ऐसे व्याख्याताओं की सूची संचालनालय को प्रस्तुत करेंगे ।

- 12) यदि किसी व्याख्याता को पदोन्नति उपरांत पदस्थापना शून्य बजट के हाईस्कूल में की गई और वहां प्राचार्य का पद स्वीकृत नहीं है तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्याख्याता को जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराएंगे तथा पदांकन आदेश संशोधन का प्रस्ताव **04.01.2008** तक एकल नस्ती के माध्यम से संचालनालय को प्रस्तुत करेंगे ।
- 13) व्याख्याता संवर्ग एवं शिक्षक संवर्ग के जो कर्मचारी पूर्व में प्राचार्य, उमावि. पद पर हुई पदोन्नतियों में पदोन्नति से छूट गये हैं उनका अभ्यावेदन प्राप्त होने पर पदोन्नति की पूर्व व्यवस्था अनुसार प्राचार्य, उमावि. पद पर पदोन्नति की पात्रता का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- 14) पदोन्नति उपरान्त निर्धारित दिनांक **31.12.2007** तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यदि व्याख्याता द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उसका पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा । ऐसे व्याख्याताओं को लिखित सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र-5 अनुसार दी जायेगी ।
- 15) यदि जिले के कोई व्याख्याता पदोन्नति से छूट गये हैं तो ऐसे व्याख्याताओं से लिखित अभ्यावेदन जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त करेंगे तथा वांछित अभिलेख सहित संचालनालय को दिनांक **04.01.2008** तक तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।
- 16) जिन व्याख्याताओं की पदोन्नति की गयी है यदि वे विधि सम्मत स्कूल शिक्षा विभाग का नहीं हैं तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये और ना ही उसे पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जाये । उसकी लिखित सूचना पूर्ण तथ्यों सहित **04.01.2008** तक संचालनालय को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी जायेगी । परन्तु यदि स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के परस्पर स्थानान्तरित संस्थाओं के लिए म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-44-27/94/20-2 दिनांक 03.01.2006 के अन्तर्गत विभाग में मूल वरिष्ठता सहित संविलियन किया गया है और पदोन्नत किया गया है, तो वह पदोन्नति का हकदार होगा तथा उसे कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा । आदिवासी विकास विभाग से शिक्षा विभाग में जिन व्याख्याताओं का संविलियन किया गया है । उनकी वरिष्ठता की पुष्टि उनके सेवाभिलेख एवं सुसंगत संविलियन आदेशों से कर ली जावे । विसंगति की स्थिति में विभाग को अवगत कराया जावे ।
- 17) पदोन्नत प्राचार्यों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुक्रम में विकल्प प्राप्त कर किया जावे ।

- 18) प्रमाणित किया जाता है कि म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (कं-21 सन् 1994) तथा म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबन्धों का और उक्त अधिनियमों तथा नियमों उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा (6) की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है ।
- 19) म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है ।


सलग्न—प्रपत्र 1 से 5

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ० क्रमांक/स्था-1/राज/बी/21/2007/1654  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 24/12/2007

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्री जी, स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर,
5. संबंधित कलेक्टर जिला..... म.प्र.
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ..... म.प्र.
7. संबंधित प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय .....म.प्र.
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला .....म.प्र.
9. संबंधित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान .....म.प्र.
10. संबंधित कोषालय अधिकारी जिला .....म.प्र.
11. सहायक संचालक, स्थापना-2 (स्थानीय)
12. संबंधित - प्राचार्य,
13. संबंधितजन -  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, म.प्र.

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला ..... म.प्र.

क्रमांक /

..... दिनांक

:: कार्यालयीन आदेश ::

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र0 स्था-1/राज/बी/21/2007 / 1653-1654 दिनांक 24.12.2007 के अनुपालन में नीचे लिखित व्याख्याताओं को प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर पदोन्नत कर उनके सामने दर्शाये संस्था में पदस्थ किया गया है। संबंधित व्याख्याता द्वारा संचालनालय के आदेश के अनुक्रम में नीचे दर्शाये अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदभार ग्रहण कर अपनी उपस्थिति दे दी हैं।

स. क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	व्याख्याता का नाम एवं पदांकित संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना वाली संस्था का नाम	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पद ग्रहण करने का दिनांक
1	2	3	4	5

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला .....

पृष्ठा. क्रमांक /  
प्रतिलिपि-

..... दिनांक

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित स्कूल के प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला .....

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला .....म.प्र.

क्रमांक /

..... दिनांक

:: कार्यालयीन आदेश ::

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र0 स्था-1/राज/बी/21/2007 /  
**1653-1654** दिनांक **24.12.2007** के अनुपालन में निम्नलिखित व्याख्याता को उनके सामने  
दर्शायी गई संस्था में हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नत कर पदस्थापना की गई है।  
उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण उपरांत पदोन्नत हाई स्कूल  
प्राचार्यो के लिये आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद उन्हें पदांकित संस्था के लिये  
दिनांक **01.01.2008** को अपरान्ह में भारमुक्त किया जाता है।

स.क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	नव पदांकित संस्था
1	2	3	4

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला .....

पृष्ठा. क्रमांक /  
प्रतिलिपि-

..... दिनांक

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित स्कूल के प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला .....

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला .....म.प्र.

क्रमांक /

.....दिनांक

:: कार्यालयीन आदेश ::

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र0 स्था-1/राज/बी/21/2007 /  
**1653-1654** दिनांक **24.12.2007** द्वारा व्याख्याता संवर्ग को प्राचार्य, हाई स्कूल के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस पदोन्नति आदेश के फलस्वरूप प्रभारी प्राचार्य पद पर पदस्थ निम्नलिखित व्याख्याताओं को पदोन्नत प्राचार्य के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यमुक्त कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ किया जाता है। संबंधित की विषयवार पदस्थापना का आदेश लोक शिक्षण संचालनालय से जारी किया जाएगा ।

स.क्र.	व्याख्याता का नाम	विषय	कार्यरत संस्था का नाम
1	2	3	4

“आयुक्त द्वारा आदेशित”

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला .....

पृष्ठा. क्रमांक /  
प्रतिलिपि-

..... दिनांक

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित स्कूल के प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
3. संबंधित व्याख्याता की ओर सूचनार्थ ।
4. कार्यालयीन प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला .....

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला .....म.प्र.

क्रमांक /

..... दिनांक

:: कार्यालयीन आदेश ::

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र0 स्था-1/राज/बी/21/2007 / 1653-1654 दिनांक 24.12.2007 द्वारा व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य, हाई स्कूल के पद पर पदोन्नतियां की गई हैं। इस आदेश के अनुक्रम में निम्नलिखित व्याख्याताओं को उनके सामने दर्शाये विद्यालय में पदोन्नत कर पदस्थ किया गया था। संबंधित व्याख्याता द्वारा लिखित में यह सूचित किया गया है कि वे स्वैच्छिक रूप से पदोन्नति परित्याग कर रहे हैं और वे पदोन्नतियां पर नहीं जाना चाहते। अतः लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश दिनांक 24.12.2007 के अनुक्रम में उपरोक्त व्याख्याता को प्राचार्य, हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति का उक्त आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

स.क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	व्याख्याता का नाम एवं स्था का नाम
1	2	3

“आयुक्त द्वारा आदेशित”

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला .....  
..... दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक /  
प्रतिलिपि-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित स्कूल के प्राचार्य की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित की सेवा-पुस्तिका उक्त आशय की प्रविष्टि अंकित करें।
3. संबंधित व्याख्याता की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला .....

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला .....म.प्र.

क्रमांक /

..... दिनांक

**:: कार्यालयीन आदेश ::**

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र0 स्था-1/राज/बी/21/2007 / **1653-1654** दिनांक **24.12.2007** द्वारा व्याख्याता संवर्ग के प्राचार्य, हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति कर पद स्थापना की गई हैं। इस आदेश में यह उल्लेखित है कि दिनांक **31.12.2007** तक जो पदोन्नत व्याख्याता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदोन्नति की उपस्थिति नहीं देगे तो उनका पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। संचालनालय के उक्त आदेश द्वारा निम्नलिखित व्याख्याताओं को प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित संस्था में पदस्थ किया गया था। उन्होंने निर्धारित तिथि तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति नहीं दी हैं। अतः संचालनालय के उपरोक्त आदेश दिनांक **24.12.2007** के अनुक्रम में संबंधित व्याख्याता का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त हो गया हैं। संबंधित को सूचनार्थ यह आदेश जारी किया गया हैं।

स. क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	व्याख्याता का नाम एवं पदांकित संस्था का नाम
1	2	3

**“आयुक्त द्वारा आदेशित”**

पृष्ठा. क्रमांक /  
प्रतिलिपि-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित स्कूल के प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित व्याख्याता की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला .....  
..... दिनांक

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला .....